(भारत के राजपत्र के भाग II, अध्याय 3, उप-अध्याय (i) में प्रकाशित किया जाना है)

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली सितम्बर, 2016

<u>सूचना</u>

G.S.R.------परंतुक द्वारा संविधान के धारा 309 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एवं विदेश मंत्रालय, प्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी I - राजपत्रित) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी II - गैर-राजपत्रित) नियुक्ति नियम 1971 और इसके संशोधन एवं विदेश मंत्रालय (वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष) नियुक्ति नियम, 1987 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या ना किए गए संबंधी कार्यों के अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय एवं सूचना संवर्ग में निश्चित समूह 'A' और समूह 'B' पदों में नियुक्ति हेतु नियमनों को नियंत्रित करते हुए राष्ट्रपति यहाँ पर निम्न नियमों का निर्माण करते हैं, विशेषकर:-

1. (I) संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ- इन नियमों को विदेश मंत्रालय, पुस्तकालय एवं सूचना संवर्ग नियुक्ति नियम, 2016 कहा जा सकता है|

(II) सरकारी राजपत्रिक में प्रकाशन के तिथि पर ये प्रवत्त होंगे|

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान- संबंधित पदों की संख्या, इसकी वर्गीकरण एवं वेतनमान के बारे में इन नियमों में संलग्नित अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट किया जाएगा|

3. नियुक्ति का तरीका, आयु सीमा, योग्यता, इत्यादि- उक्त पद के लिए नियुक्ति का तरीका, आयु सीमा, योग्यता एवं संबंधी अन्य मुद्दों को उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट किया जाएगा|

4. अयोग्यताएं-

वह व्यक्ति,-

(a) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए संविदा जारी किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(b) वह व्यक्ति जो अपने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाहित है या विवाह के प्रति संविदा जारी किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा:

यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्ष के लिए इस तरह के विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने का कोई अन्य कारण है, तो केन्द्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से सतंत्र कर सकती है|

5. छूट प्रदान करने का अधिकार- जहाँ पर केन्द्रीय सरकार को लगता है कि ऐसा करना आवश्यक एवं उचित है, वहां आदेश के अनुसार, लिखित में कारणों को रिकॉर्ड करके एवं संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से, व्यक्ति के किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट प्रदान की जा सकती है|

6. रक्षण- समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ज़ारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सैन्य बल एवं व्यक्तियों की अन्य वर्गों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले आरक्षण एवं अन्य अनुदानों पर इन नियमों के किसी भी भाग का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए|

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
निर्देशक (पुस्तकालय एवं सूचना)	1* 2016 *कार्यभार पर निर्भर कर परिवर्तन योग्य	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ‘A’, राजपत्रिक, गैर-लिपिकवर्गीय	स्तर 13	चयन	50 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए| (केन्द्रीय सरकार द्वारा ज़ारी किए गए निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक की छूट) ध्यान दें: आयु सीमा निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि का विज्ञापन UPSC द्वारा किया जाएगा|

प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या पदोन्नति में मामले में प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए निर्दिष्ट आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी
7	8
<u>आवश्यकता:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री| (ii) केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन/ पीएसयू/ विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अन्तर्गत किसी पुस्तकालय में पंद्रह वर्षों का पेशेवर अनुभव| <u>वांछनीय:</u> (i) केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन/ पीएसयू/ विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अन्तर्गत पुस्तकालय में वहां की गतिविधियों को कंप्यूटर में दर्ज करने का एक वर्ष का अनुभव| (ii) प्रलेखन कार्य में एक वर्ष का पेशेवर अनुभव| (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन में डिप्लोमा| (iv) अंग्रेजी के अलावा किसी एक अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा का कार्य ज्ञान। ध्यान दें 1: अन्यथा उचित रूप से योग्य आवेदकों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार से अभिलिखित कारणों के लिए इन योग्यताओं पर छूट दी जा सकती है| ध्यान दें 2: यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग को यह लगता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस समुदाय से आवश्यक अनुभव रखने वाले आवेदक पर्याप्त	आयु: नहीं शैक्षिक योग्यताएं: हाँ

संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार से अनुभव से संबंधित योग्यता(यों) पर छूट दी जा सकती है|	

परिवीक्षा की अवधि, यदि है तो	नियुक्ति का तरीका प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा और भिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश ग्रेड द्वारा नियुक्ति के मामले में जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना कैसी है	परिस्थितियाँ जिनके तहत नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिए
9	10	11	12	13
प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसमे असफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों में असफल रहने पर प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा	पदोन्नति ग्रेड में 10 वर्षों की नियमित सेवा सहित कॉलम 7 में निर्दिष्ट प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए योग्यता रखने वाले और पुस्तकालय एवं पुस्ताकालय विज्ञान के क्षेत्र में सफलता पूर्वक चार सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले वेतन मेट्रिक्स स्तर 11 के पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी| प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अधिकारी -	समूह 'A' DPC (पदोन्नति के लिए) 1.सभापति/सदस्य, UPSC- सभापति 2.संयुक्त सचिव (प्रशासन)-सदस्य 3.संयुक्त सचिव (PP&R)-सदस्य समूह 'A' DPC (पुष्टि पर विचार	प्रत्यक्ष नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

		(a)(i)नियमित आधार पर अनुरूप पदाधिकारी; या (ii)वेतन मेट्रिक्स के स्तर 12 के पद पर पाँच वर्षों की नियमित सेवा सहित या इसके समान; और (b)कॉलम 7 के तहत प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले अधिकारी| ध्यान दें: 1. फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए प्रत्यक्ष योग्य हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए उन्हें योग्य नहीं समझा जाएगा| इसी तरह पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों को योग्य नहीं समझा जाएगा| 2.समान या किसी अन्य संस्थान/ विभाग में इस नियुक्ति से बिलकुल पहले संभाले गए अन्य गत-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि| 3.आवेदनों के प्राप्ति के अंतिम तिथि पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा '56 वर्ष से अधिक नहीं' होनी चाहिए|	करने के लिए) 1.अतिरिक्त सचिव (प्रशासन)-सभापति 2.संयुक्त सचिव (प्रशासन)-सदस्य 3.संयुक्त सचिव (PP&R)-सदस्य	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए आयु सीमा	प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1* (2016) * कार्यभार पर निर्भर कर परिवर्तन योग्य	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ‘A’, राजपत्रिक, गैर-लिपिकवर्गीय	स्तर 11	चयन	प्रयोज्य नहीं है	प्रयोज्य नहीं है

क्या पदोन्नति में मामले में प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए निर्दिष्ट आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि है तो	नियुक्ति का तरीका प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा और भिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत
8	9	10
प्रयोज्य नहीं है	प्रयोज्य नहीं है	पदोन्नति द्वारा जिसमे असफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा|

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश ग्रेड द्वारा नियुक्ति के मामले में जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है
11
<u>पदोन्नति:</u> ग्रेड में 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री रखने वाले और पुस्तकालय एवं पुस्ताकालय विज्ञान के क्षेत्र में सफलता पूर्वक तीन सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले वेतन मेट्रिक्स स्तर 7 के सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी| <u>प्रतिनियुक्ति:</u>

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अधिकारी - (a)(i)नियमित आधार पर अनुरूप पदाधिकारी; या (ii)वेतन मेट्रिक्स के स्तर 7 के पद पर 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित या इसके समान; और (b)निम्न शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले अधिकारी: <u>आवश्यकता:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन/ पीएसयू/ विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अन्तर्गत किसी पुस्तकालय में पांच वर्ष का पेशेवर अनुभव। <u>वांछनीय:</u> (i) केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन/ पीएसयू/ विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अन्तर्गत पुस्तकालय में वहां की गतिविधियों को कंप्यूटर में दर्ज करने का एक वर्ष का अनुभव| (ii) प्रलेखन कार्य में एक वर्ष का पेशेवर अनुभव| (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन में डिप्लोमा| (iv) अंग्रेजी के अलावा किसी एक अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा का कार्य ज्ञान। ध्यान दें: 1. फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए प्रत्यक्ष योग्य हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए उन्हें योग्य नहीं समझा जाएगा| इसी तरह पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों को योग्य नहीं समझा जाएगा| 2. केन्द्रीय सरकार के समान या किसी अन्य संस्थान/ विभाग में इस नियुक्ति से बिलकुल पहले संभाले गए अन्य गत-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए| 3. आवेदनों के प्राप्ति के अंतिम तिथि पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा '56 वर्ष से अधिक नहीं' होनी चाहिए|

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना कैसी है	परिस्थितियाँ जिनके तहत नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिए
12	13
समूह 'A' DPC (पदोन्नति के लिए) 1.सभापति या सदस्य, UPSC- सभापति	UPSC से परामर्श आवश्यक नहीं है

2.संयुक्त सचिव (प्रशासन)-सदस्य 3.निर्देशक (पुस्तकालय एवं सूचना)-सदस्य	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	3* 2016 * कार्यभार पर निर्भर कर परिवर्तन योग्य	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'B', राजपत्रिक, गैर-लिपिकवर्गीय	स्तर 7	चयन	30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए| (केन्द्रीय सरकार द्वारा ज़ारी किए गए निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्षों तक की छूट) ध्यान दें: आयु सीमा निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि का विज्ञापन UPSC द्वारा किया जाएगा|

प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या पदोन्नति में मामले में प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए निर्दिष्ट आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि है तो
7	8	9
<u>आवश्यकता:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर्स डिग्री;	आयु: नहीं शैक्षिक योग्यता: नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /	प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए दो वर्ष|

(ii) केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन/ पीएसयू/ विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अन्तर्गत किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का पेशेवर अनुभव। <u>वांछनीय:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर्स डिग्री| (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन में डिप्लोमा| (iv) अंग्रेजी के अलावा किसी एक अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा का कार्य ज्ञान। (v) प्रलेखन कार्य का अनुभव| ध्यान दें: 1. अन्यथा उचित रूप से योग्य आवेदकों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार से अभिलिखित कारणों के लिए इन योग्यताओं पर छूट दी जा सकती है| 2. यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग को यह लगता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस समुदाय से आवश्यक अनुभव रखने वाले आवेदक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार से अनुभव से संबंधित योग्यता(यों) पर छूट दी जा सकती है|	संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर्स डिग्री प्राप्त होना चाहिए|	

नियुक्ति का तरीका प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा और भिन्न तरीकों द्वारा भरे	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश ग्रेड द्वारा नियुक्ति के मामले में जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना कैसी है	परिस्थितियाँ जिनके तहत नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत			लिया जाना चाहिए
10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा जिसमे असफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों में असफल रहने पर प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा	<u>पदोन्नति</u> ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा सहित पुस्तकालय एवं पुस्ताकालय विज्ञान के क्षेत्र में सफलता पूर्वक दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले वेतन मेट्रिक्स स्तर 6 के वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक| <u>प्रतिनियुक्ति</u> केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अधिकारी - (a)(i)नियमित आधार पर अनुरूप पदाधिकारी; या (ii)वेतन मेट्रिक्स के स्तर 6 के पद पर पाँच वर्षों की नियमित सहित या इसके समान; और (b)कॉलम 7 के तहत प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अधिकारी| ध्यान दें: 1. फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए प्रत्यक्ष योग्य हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए उन्हें योग्य नहीं समझा जाएगा| इसी तरह पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों को योग्य नहीं समझा जाएगा| 2. केन्द्रीय सरकार के समान या किसी अन्य संस्थान/ विभाग में इस नियुक्ति	समूह ‘B’ DPC (पदोन्नति के लिए) 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सभापति 2.निर्देशक (PP&R)/ उप-सचिव (PP&R)-सदस्य 3.निर्देशक (पुस्तकालय और सूचना)-सदस्य समूह ‘B’ DPC (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1.संयुक्त सचिव (प्रशासन)-सभापति 2. निर्देशक (PP&R)/ उप-सचिव (PP&R)-सदस्य 3. निर्देशक (पुस्तकालय और सूचना)-सदस्य	प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

	से बिलकुल पहले संभाले गए अन्य गत-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए| 3. आवेदनों के प्राप्ति के अंतिम तिथि पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा '56 वर्ष से अधिक नहीं' होनी चाहिए|		

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	6* 2016 * कार्यभार पर निर्भर कर परिवर्तन योग्य	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'B', राजपत्रिक, गैर-लिपिकवर्गीय	स्तर 6	प्रयोज्य नहीं	30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए| (केन्द्रीय सरकार द्वारा ज़ारी किए गए निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्षों तक की छूट) ध्यान दें: आयु सीमा निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तिथि का विज्ञापन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा|

प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या पदोन्नति में मामले में प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए निर्दिष्ट आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी
7	8
<u>आवश्यकता</u>	प्रयोज्य नहीं है

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर्स डिग्री; (ii) केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन/ पीएसयू/ विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अन्तर्गत पुस्तकालय में दो वर्ष का पेशेवर अनुभव। <u>वांछनीय:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन में डिप्लोमा| (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर्स डिग्री| (iii) अंग्रेजी के अलावा किसी एक अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा का कार्य ज्ञान। (v) मानचित्रों के संग्रहन; भूगोल का ज्ञान और मानचित्रों के चयन एवं मूल्यांकन में मानचित्रण और ग्रंथपरक दिशा-निदेशों का ज्ञान सहित किसी पुस्तकालय में अनुभव| ध्यान दें: 1. अन्यथा उचित रूप से योग्य आवेदकों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार से अभिलिखित कारणों के लिए इन योग्यताओं पर छूट दी जा सकती है| 2. यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग को यह लगता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस समुदाय से आवश्यक अनुभव रखने वाले आवेदक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार से अनुभव से संबंधित योग्यता(यों) पर छूट दी जा	

सकती है|	

परिवीक्षा की अवधि, यदि है तो	नियुक्ति का तरीका प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा और भिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश ग्रेड द्वारा नियुक्ति के मामले में जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना कैसी है	परिस्थितियाँ जिनके तहत नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिए
9	10	11	12	13
प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए दो वर्ष|	प्रत्यक्ष नियुक्ति ध्यान दें: एक वर्ष या अधिक के अवधि के लिए पदधारी का हमेशा प्रतिनियुक्ति पर रहना या दीर्घ रोग या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के अन्तर्गत होने वाले रिक्तियों को नियमित आधार पर केन्द्रीय सरकार के समरूपी पदाधिकारियों और कॉलम 7 के तहत निर्दिष्ट प्रत्यक्ष नियुक्तियों के लिए योग्यता रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है|	प्रयोज्य नहीं है	समूह ‘B’ DPC (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1.संयुक्त सचिव (PP&R)-सभापति 2. निर्देशक (प्रशासन)- सदस्य 3. पुस्तकालय और सूचना अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है|

[संख्या. Q/CAD/798/05/2016]

विप्रा पांडे, अनु सचिव (संवर्ग)